जावीद अहमद,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
परिपत्र संख्याः–डीजी–21/2016
दिनांकः अप्रैल 26 ,2016

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि कई बार एक ही घटना के सम्बध में पक्षकारों द्वारा एक से अधिक FIR दर्ज करायी जाती हैं। सामान्यतः यह FIR cross case के रूप में दर्ज होंती है जिसमें प्रथम FIR के मुल्जिमों द्वारा एक ही घटना के अपने version को दर्शाया जाता है। कभी–कभी एक ही पक्ष के अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा भी अलग–अलग FIR दर्ज करायी जाती है जिसमें घटना एक होते हुए भी अन्य तथ्यों में भिन्नता हो राकती है। ऐसा भी पाया गया है कि किसी घटना में प्रथम FIR पुलिस द्वारा दर्ज करने के बाद घटना के सम्बंध में पक्षकारों द्वारा अपने अपने हिसाब से उसी घटना के सम्बंध में पुनः FIR दर्ज करायी गयी। इसी प्रकार Multiple FIRs कई बार घटनास्थल से भिन्न थाने पर अथवा धारा 156(3) Cr.P.C. के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के माध्यम से भी दर्ज करायीं जाती हैं। सामान्यतः इन Multiple FIRs को A.B.C इत्यादि पर दर्ज किया जाता है परन्तु कई बार अलग–अलग अपराध संख्या पर भी दर्ज किया जाता है। ऐसी Multiple FIRs जो कि एक ही घटना से सम्बंधित हैं, की विवेचना में विभाग द्वारा विशेष सावधानी न बरतने से पक्षकार अपने अपने हितों के लिये मा0 न्यायालय की शरण लेते हैं जिससे अनावश्यक परेशानियॉ उत्पन्न होती है। ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें एक से अधिक FIR दर्ज की गयी हों, की विवेचना के सम्बंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं जिनका अनुपालन सभी संबंधित द्वारा सुनिश्चित किया जायः–

1. यह परीक्षण कर लिया जाय कि दर्ज हुई प्रश्नगत समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही घटनाकम से सम्बन्धित है अथवा नही ?
2. यदि ऐसी सभी FIRs एक ही प्रकरण से संबंधित है, तो इन सभी FIRs की विवेचना एक ही अनुभवी, योग्य एवं दक्ष विवेचक को आवंटित की जाय। यदि संख्या ज्यादा हो तो एक मुख्य विवेचक के नेतृत्व में टीम गठित कर समस्त विवेचनाएं इसी टीम को आवंटित की जाएं।
3. यदि किसी प्रकरण में cross FIRs दर्ज करायी गयी है तो ऐसी सभी cross FIRs की विवेचना एक ही विवेचक से करायीं जाए । यदि इनमें से एक FIR में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धारा लगी है और शेष में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की

—2

धारा न लगी हो तो ऐसी समस्त cross FIRs की विवेचना एक ही पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जाए ताकि विरोधाभास उत्पन्न न हो।

इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **Upkar Singh Vs. Ved Prakash & Ors. (2004) 13 SCC 292** में दिये गये निर्णय का उद्धरण आपके मार्गदर्शन हेतु निम्नांकित है:—

" However, this rule will not apply to a counter claim by the accused in the first complaint or on his behalf alleging a different version of the said incident. Thus in case, there are rival versions in respect of the same episode, the Investigating Agency would take the same on two different FIRs and investigation can be carried under both of them by the same investigating agency and thus, filing an FIR pertaining to a counter claim in respect of the same incident having a different version of events, is permissible."

4. यदि प्रकरण में Multiple FIRs दर्ज है परन्तु cross FIR दर्ज नही है, तो बाद में दर्ज समस्त FIRs को 162 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही मानते हुए प्रथम FIR की विवेचना में सम्मिलित किया जाए। ऐसी सभी FIRs के सम्बन्ध में एक ही केस डायरी किता की जाए जिसमें सभी FIRs के तथ्यों का समावेश करके विवेचना की जाए।

इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **T.T.Antony Vs. State of Kerala & Ors. (2001) 6 SCC 181** में दिये गये निर्णय का उद्धरण आपके मार्गदर्शन हेतु निम्नांकित है:—

"This court dealt with a case wherein in respect of the same cognizable offence and same occurrence two FIRs had been lodged and the court held that there can be no second FIR and no fresh investigation on receipt of every subsequent information in respect of the same cognizable offence or same occurrence giving rise to one or more cognizable offences. The investigating agency has to proceed only on the information about commission of a cognizable offence which is first entered in the Police Station diary by the Officer Incharge under Section 158 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter called the Cr.P.C.) and all other subsequent information would be

--3

covered by Section 162 Cr.P.C. for the reason that it is the duty of the Investigating Officer not merely to investigate the cognizable offence report in the FIR but also other connected offences found to have been committed in the course of the same transaction or the same occurrence and the Investigating Officer has to file one or more reports under Section 173 Cr.P.C."

5. ऐसी सभी विवेचनाओं के अन्तिम निस्तारण के सम्बंध में यथासंभव एक साथ निर्णय लिया जाय। यह पाया गया है कि कई बार अलग अलग निस्तारण करने से विवेचनाओं में विसंगतियॉ एवं विरोधाभास उत्पन्न होते हैं जबकि घटना एक ही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना में विसंगति उत्पन्न न हो।

6. यदि ऐसी किसी एक विवेचना में धारा 173(8) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अग्रिम विवेचना का आदेश किसी भी स्तर से किया जाता है तो यह आदेश सभी विवेचनाओं के लिये स्वतः लागू होगा। ऐसा न करने की स्थिति में विवेचनाओं में आपस में विरोधाभास उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

7. यदि किसी कारण से किसी एक विवेचना का स्थानांतरण अपराध शाखा अथवा नये विवेचक अथवा किसी अन्वेषण इकाई को किया जाता है तो उक्त आदेश उक्त प्रकरण से सम्बंधित सभी विवेचनाओं पर स्वतः लागू होगा।

8. पर्यवेक्षण अधिकारी की यह विशेष जिम्मेदारी होगी कि ऐसे सभी प्रकरणों में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

भवदीय,

26.4.16.

(जावीद अहमद)

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
एवं समस्त विवेचना इकाई प्रभारी,
उत्तर प्रदेश ।